

गृह रक्षकों के नव नामांकन हेतु औपचारिक मेधा सूची प्रकाशन पश्चात दिनांक 29.07.15 तक निर्धारित समय अवधि में प्राप्त दावा / आपत्ति का निष्पादन प्रतिवेदन

### जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के जनता दरबार/डाक से प्राप्त दावा आपत्ति

क्र0	आपत्तिकर्ता/अभ्यर्थियों का नाम	प्रखंड का नाम/अभ्यर्थी रौल नं0	अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्ति/परिवाद का पत्र में दर्ज मुख्य विन्दु/विषय	दावा/आपत्ति का निराकरण पश्चात निष्पादन प्रतिवेदन	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	संजू देवी, पति—स्व0 लक्ष्मण चौरसिया ग्राम+पो0+थाना—वीरपुर बेगूसराय	वीरपुर रौल नं0-13	दौड़ में सफल होने के पश्चात ऊँचाई में छॉट दिया गया है।	अहर्ता के लिए 153 सेमी0 चाहिए परन्तु संजू देवी की ऊँचाई माप के अनुसार 151.8 सेमी0 है। आपत्ति अस्वीकृत।	अस्वीकृत
2	गीता कुमारी, पे0— जागेश्वर महतों ग्राम—विशनपुर पो0—मिर्जापुर बन्द्वार थाना—नगर	बेगूसराय रौल नं0-99	दौड़ में सफल होने के पश्चात ऊँचाई में छॉट दिया गया है।	अहर्ता के लिए 153 सेमी0 ऊँचाई चाहिए। जबकि आवेदिका की ऊँचाई माप के अनुसार 151.3 सेमी0 है। आपत्ति अस्वीकृत।	अस्वीकृत
3	गुंजन कुमारी, ग्राम—शाम्हों प्रखंड —शाम्हों	शाम्हों अकहा कुरहा रौल नं0— 02	आवेदिका का परिवाद है कि शारीरिक दक्षता एवं चिकित्सीय परीक्षण में पास हूँ। परन्तु शाम्हों प्रखंड के सामान्य वर्ग की महिला का कोई रिक्ति नहीं है।	शाम्हों प्रखंड में महिला के लिए मात्र एक रिक्ति है जो कि पिछड़े वर्ग की महिला के लिए है। आपत्ति अस्वीकृत।	अस्वीकृत

4	रंजीत कुमार, मीर अलीपुर दियारा, बलिया	बलिया रौल नं0-93	आवेदक के पिता का नाम पता नहीं रहने के कारण सूची में नाम नहीं है।	प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्रम सं0 64 पर आवेदक रंजीत कुमार रौल नं0-93 को योग्य सूची में अभ्यर्थिता दर्ज है। आवेदक के पिता का नाम श्री जोगिन्द्रर प्र0 सिंह जो औपचारिक मेधा सूची एवं मास्टर सूची में पूर्व से अंकित है। आपत्ति अस्वीकृत।	अस्वीकृत
5	राजमणि कुमारी, पति— गौड़ी शंकर पंडित जयलख बखरी	बखरी रौल नं0-08	दौड़ में सफल होने के पश्चात ऊँचाई में छॉट दिया गया है।	आवेदिका की माप अनुसार ऊँचाई 151 सेमी0 मात्र है। आपत्ति अस्वीकृत।	अस्वीकृत
6	रेखा कुमारी, पति— अशोक चौधरी, ग्राम—गौड़ा प्रखंड—तेघड़ा	तेघड़ा रौल नं0-41	आवेदिका अंत्यन्त गरीब, महादलित, मध्यमा बोर्ड, मैट्रिक पास महिला है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी में नियुक्त हेतु अनुरोध किया गया है।	औपचारिक मेधा सूची में योग्य श्रेणी में क्र0 सं0 03 पर प्राप्तांक 04 के साथ दर्ज है। यदि अंतिम मेधा सूची में आती है तो नियुक्ति की जा सकती है। आपत्ति अस्वीकृत।	अस्वीकृत
7	मो0 रहवर अली ग्राम—डुमरी परोड़ा छौड़ाही	छौड़ाही रौल नं0-50	आवेदक का परिवाद है कि दौड़ में निश्चित समय पर पहुँच चुका था उसी समय भिसिल बज गया और तीन व्यक्ति पीछे से घुस गये और पदाधिकारी उन तीनों को बाहर कर दिये और मुझे भी उन तीनों के साथ बाहर निकाल दिये।	आवेदक मास्टर सूची के अनुसार दौड़ में असफल है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
8	पंकज कुमार पे0—रमाकांत महतों ग्राम—दमोदरपुर प्रखंड —भगवानपुर	भगवानपुर रौल नं0-34	दिनांक 15.05.15 को दौड़ में उत्तीर्ण हुआ था परन्तु अनावश्यक कारण से ऊँचाई के कारण हटा दिया गया।	पुरुष अभ्यर्थी के लिए अहर्ता ऊँचाई 162.56 है इनका ऊँचाई माप के अनुसार 161.3 सेमी0 है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

9	अमित कुमार, पिता—विजय कुमार दास ग्राम—विष्णुपुर देवी स्थान वार्ड नं0—42 बेगूसराय	बेगूसराय शहरी रौल नं0—112	चिकित्सीय जाँच में KNOCKING KNEE में डॉक्टर साहब द्वारा अनफीट कर डी0एम0 साहब एवं होम गार्ड कार्यालय को भेजा गया है। जबकि मुझे सफल घोषित किया गया है।	औपचारिक मेधा सूची में क्र0 सं0 09 पर अयोग्य दर्ज करते हुए चिकित्सीय परिक्षण में अयोग्य घोषित किया गया है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
10	शिव कुमार पे0— रामचरित्र सिंह ग्राम—पहसारा बभनगामा प्रखंड—नावकोठी	नावकोठी	आवेदक को बहाली की जानकारी नहीं रहने के कारण समय पर नहीं पहुँच सका। आवेदक का अनुरोध है कि पुनः दौड़ हेतु एक मौका दिया जाय।	दौड़ में अनुपस्थित आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
11	रजनीश कुमार पे0—ब्रजदेव कुँवर ग्राम—कैथमा जिला—बेगूसराय	बेगूसराय रौल नं0—27	आवेदक का परिवाद है कि दौड़ में चार चक्कर लगाकर सीमा पार कर गये फिर भी वहाँ के कर्मी कॉलर पकर कर बाहर कर दिये।	दौड़ में असफल आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
12	रिटू कुमारी, पति— स्व0 लोकेश कुमार सिंह ग्राम—दहिया प्रखंड—भगवानपुर बेगूसराय	भगवानपुर रौल नं0—30	आवेदिका का परिवाद है कि मेरी ऊँचाई 155 सेमी0 है फिर भी परिचारी प्रवर द्वारा अन्य प्रेक्षिया में शामिल नहीं होने दिया गया गुनः लम्बाई माप करने हेतु अनुरोध किया गया।	महिला अभ्यर्थी की अहर्ता ऊँचाई 153 सेमी0 है आवेदिका की ऊँचाई माप के अनुसार मात्र 151.1 सेमी0 है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
13	गुंजन कुमारी, ग्राम—शाम्हों प्रखंड —शाम्हों	शाम्हों अकहा कुरहा रौल नं0— 02	आवेदिका का परिवाद है कि शारीरिक दक्षता एवं चिकित्सीय परीक्षण में पास है, परन्तु शाम्हों प्रखंड के सामान्य वर्ग की महिला का कोई रिक्ति नहीं है।	शाम्हों प्रखंड में महिला के लिए मात्र एक रिक्ति है जो कि पिछड़े वर्ग की महिला के लिए है। आपत्ति अस्वीकृत।	अस्वीकृत

14	गुंजन कुमारी, ग्राम—शास्त्रों प्रखंड —शास्त्रों	शास्त्रों अकहा कुरहा रौल नं0— 02	आवेदिका का परिवाद है कि शारीरिक दक्षता एवं चिकित्सीय परीक्षण में पास है, परन्तु शास्त्रों प्रखंड के सामान्य वर्ग की महिला का कोई रिक्त नहीं है।	शास्त्रों प्रखंड में महिला के लिए मात्र एक रिक्त है जो कि पिछड़े वर्ग की महिला के लिए हैं। आपत्ति अस्वीकृत।	अस्वीकृत
15	गुंजन कुमारी, ग्राम—शास्त्रों प्रखंड —शास्त्रों	शास्त्रों अकहा कुरहा रौल नं0— 03	आवेदिका का परिवाद है कि शारीरिक दक्षता एवं चिकित्सीय परीक्षण में पास है, परन्तु शास्त्रों प्रखंड के सामान्य वर्ग की महिला का कोई रिक्त नहीं है।	शास्त्रों प्रखंड में महिला के लिए मात्र एक रिक्त है जो कि पिछड़े वर्ग की महिला के लिए हैं। आपत्ति अस्वीकृत।	अस्वीकृत
16	अमित कुमार, पिता—विजय कुमार दास ग्राम—विष्णुपुर देवी स्थान वार्ड नं0—42 बेगूसराय	बेगूसराय शहरी रौल नं0—112	आवेदक अमित कुमार रौल नं0—112 के द्वारा दिनांक 22.06.15 को चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल बेगूसराय को द्वितीयक चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में आवेदन दिया गया है। उसके आलोक में उपाधीक्षक सदर अस्पताल बेगूसराय के द्वारा आवेदक का द्वितीय चिकित्सीय परीक्षण मैडिकल बोर्ड के समक्ष कराया गया। परिवाद पत्र के साथ द्वितीयक मैडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न है जिसमें अंकित है कि " That the ailment of knocking knee is so trivial that it can be ignored"	प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में क्र0 सं0 09 पर दर्ज विवरणी में प्रथम चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृति किया गया।	अस्वीकृत

17	<p>रुबी कुमारी ग्राम-बाघी प्रखंड – सदर बेगूसराय</p>	<p>सदर बेगूसराय रौल नं0-106</p>	<p>दौड़ में सफल होने के पश्चात ऊँचाई में छॉट दिया गया है। अनुरोध है कि पुनः माप कराकर नियुक्ति की जाय।</p>	<p>महिला अभ्यर्थी हेतु अहर्ता ऊँचाई 153 सेमी0 है आवेदिका की ऊँचाई माप के अनुसार मात्र 147 सेमी0 है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।</p>	
18	<p>रेखा कुमारी, पति— अशोक चौधरी, ग्राम—गौड़ा प्रखंड—तेघड़ा</p>	<p>तेघड़ा रौल नं0-41</p>	<p>आवेदिका अंत्यन्त गरीब, महादलित, मध्यमा बोर्ड, मैट्रिक पास महिला है। बिहार गृह रक्षां वहिनी में नियुक्त हेतु अनुरोध किया गया है।</p>	<p>औपबंधिक मेधा सूची में योग्य श्रेणी में क्र0 सं0 03 पर प्राप्तांक 04 के साथ दर्ज है। अस्वीकृत</p>	<p>अस्वीकृत</p>

## औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशन के पश्चात दिनांक 27–29 / 07.15 तक प्राप्त दावा आपत्ति निष्पादन प्रतिवेदन

19	मुकेश कुमार पे०— कालेश्वर गुप्ता	बेगूसराय शहरी रौल नं०-५१	दौड़ में घायल होने के पश्चात लम्बी कूद में भाग नहीं ले सका अतः अनुरोध है कि लम्बी कद कराने हेतु अनुरोध किया है। साथ ही आवेदक के द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि वे सिन्दुरिया बनिया हैं जो अंत्यंत पिछड़ा वर्ग में आता है वे जाति एवं कोटि में टंकण भूल सुधार करने हेतु अनुरोध किया है।	आवेदक का औपबंधिक मेधा सूची में बेगूसराय शहरी के क्रमांक ०५ पर योग्य सूची में शामिल है। लम्बी कूद का प्राप्तांक शून्य है। आवेदक का आवेदन समिति द्वारा अवलोकन किया गया जिसमें सिन्दुरिया बनियाँ (अंत्यंत पिछड़ा वर्ग) हैं। मास्टर चाट में पिछड़ा वर्ग अंकित हो गया है। इसे सुधार किया गया। आवेदन स्वीकृत।	स्वीकृत
20	अभय नारायण राय पिता— शिव कुमार झा	बेगूसराय ग्रामीण रौल नं०-६८८	आवेदक का परिवाद है कि ऊँची कूद का प्रातांक ०३ लम्बी कूद का प्राप्तांक ०५ गोला फेक का प्रातांक ०५ अर्थात इन्हे १३ अंक प्राप्त हुआ है लेकिन प्रकाशित मेधा सूची में मात्र ०४ अंक है। साथ ही चिकित्सीय जाँच में भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है।	प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची के क्र० ४३ पर आवेदक का नाम अयोग्य सूची में दर्ज है। मास्टर सूची के अनुसार आवेदक श्री राय को ऊँची कूद में ०० , लम्बी कूद ०१ एवं गोला फेक में ०३ अंक अर्थात कुल ०४ अंक प्राप्त है। और श्री राय को ऊँची कूद में ० अंक लाने के कारण इस आशय का मास्टर सूची पर हस्ताक्षर भी दर्ज है। चिकित्सीय परीक्षण में भी अयोग्य है आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
21	रमण कुमार पे० बैधनाथ यादव	बलियां रौल नं०-१४८	आवेदक का परिवाद है कि उसे ऊँची कूद में ३ अंक लम्बी कूद में ५ अंक एवं गोला फेक में ५ अंक अर्थात कुल प्राप्तांक अंक १३ होना चाहिए किन्तु प्रकाशित मेधा सूची में १० अंक दर्ज है।	मास्टर सूची एवं प्रकाशित मेधा सूची के अनुसार आवेदक श्री रमण को ऊँची कूद में ०३ अंक लम्बी कूद में ०३ अंक एवं गोला फेक में ०४ अंक अर्थात कुल १० अंक के साथ प्रखण्ड बलिया के क्र० १५ पर योग्य सूची में नाम है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

22	गंगेश कुमार सिंह पे० इन्द्रजीत प्रसाद सिंह	सा० कमाल रौल नं०- 400	आवेदक का परिवाद है कि मै कुल 13 अंक के साथ शारीरिक जाँच मे सफल हुआ था। किन्तु चिकित्सीय जाँच मे अयोग्य करा दिया गया है। पुनः चिकित्सीय जाँच कराया जाय।	प्रकाशित औपबंधित मेधा सूची मे आवेदक का कुल प्रातांक 10 है। चिकित्सीय परीक्षण मे अयोग्य है। प्रखण्ड सा० कमाल के क्र 105 पर विवरणी दर्ज है। आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
23	पंकज महतो पे० राम पदारथ महतों	सा० कमाल रौल नं०-646	आवेदक का परिवाद है कि मै कुल 08 अंक के साथ शारीरिक जाँच मे सफल हुवा था किन्तु चिकित्सीय जाँच मे अयोग्य करा दिया गया है। पुनः चिकित्सीय जाँच कराया जाय।	प्राकाशित औपबंधित मेधा सूची मे आवेदक का कुल प्रातांक 08 है। चिकित्सीय परीक्षण मे अयोग्य है। प्रखण्ड सा० कमाल के क्र० 143 पर विवरणी दर्ज है। आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
24	ममता कुमारी पिता-महेन्द्र दास	बेगूसराय शहरी रौल नं०- 19	आवेदिका का परिवाद है कि वे सिन्दुरिया बनिया है। जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मे आता है। जबकि मेधा सूची मे पिछड़ा वर्ग है।	समिति द्वारा आवेदिका का मूल आवेदन मे अंकित कोटी,जाति एवं जाति प्रमाण पत्र का जाँच किया गया। जाँच मे सही पाया गया कि सिन्दुरिया बनिया अन्यन्त पिछड़ा वर्ग मे अंकित होना चाहिए था। टंकण भुल वश मास्टर सूची मे पिछड़ा वर्ग अंकित हो गया है। जिसे सुधार किया गया। आपति आवेदन स्वीकृत।	स्वीकृत
25	नीरज कुमार पे० उपेन्द्र महतों ग्राम राजापुर सिकरौला वीरपूर	वीरपुर रौल नं०- 36	आवेदक का परिवाद है कि उन्हे चिकित्सीय परीक्षण फूट फलेट मे अयोग्य कर दिया गया है जबकि राजकीय स्वास्थ्य समिति विहार सरकार गर्दनी बाग पटना के द्वारा फिट साबित किया गया है अतः पुनः चिकित्सीय परीक्षण करवाने हेतु अनुरोध किया है।	प्रकाशित औपबंधित मेधा सूची के क्र० 05 पर चिकित्सीय परीक्षण मे अयोग्य दर्ज है मेडिकल बोड के द्वारा उनके प्रतिवेदन मे एफ-एफ दर्ज है आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।	अस्वीकृत

26	राजु कुमार पे० देवेन्द्र झा मेघौल खोदावन्दपुर	खोदावन्दपुर रौल नं०-०६	आवेदक का परिवाद है कि चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य घोषित किया गया है। आवेदक के द्वारा परिवाद के साथ संलग्न पी०एम०सी०एच० पटना के सहायक अध्यापक हड्डी विभाग का प्रमाण पत्र है जिसमें <b>knocking knee</b> अंकित है साथ ही आवेदक के द्वारा अंकित किया गया है कि उनका नाम राजू कुमार जबकि मेधा सूची में राजकुमार अंकित कर दिया गया है।	आवेदक के नाम में त्रुटि सुधार किया गया। चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया आवेदक चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य है। इस लिए आवेदन अस्वीकृत। आवेदक के नाम में सुधार हेतु आवेदन स्वीकृत।	अस्वीकृत
27	गौतम कुमार, पिता –कार्तिक प्रसाद यादव ग्राम—सा० कमाल	सा० कमाल रौल नं०-६९७	आवेदक का परिवाद है कि आवेदक को चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य किया गया है। वे इससे सहमत नहीं हैं पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया है	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया। जिसमें अयोग्य घोषित है, प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची में सा० कमाल प्रखण्ड के क्र० 121 पर चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज है। आपति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
28	कृष्णकांत पे०—राम पासवान ग्राम—बरौनी	बरौनी रौल नं०-६०४	आवेदक का परिवाद है कि चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य घोषित किया गया है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया। जिसमें अयोग्य घोषित है, प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची में बरौनी प्रखण्ड के क्र० 19 पर चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज है। आपति आवेदन अस्वीकृत किया गया।	अस्वीकृत
29	राज कुमार पे०— दिनेश प्रसाद यादव कमरुद्धिनपुर बेगूसराय	सदर बेगूसराय रौल नं०-८०३	आवेदक का परिवाद है कि जन्म तिथि भूल वश गलत अंकित कर दिया गया है। इनका जन्म तिथि 10.01. 1990 है मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न है।	आवेदन स्वीकृत जाँच मे परिवाद सही पाया गया है। जन्म तिथि मे सुधार किया गया। आपति आवेदन स्वीकृत।	स्वीकृत
30	संतोष कुमार पे० सुरेश साह सिमरिया धाट बरौनी	बरौनी रौल न०- 379	परिवाद है कि चिकित्सीय परीक्षण मे अयोग्य कर दिया गया है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया। जिसमें अयोग्य घोषित है, प्रकाशित मेधा सूची मे बरौनी प्रखण्ड के क्र 18 पर चिकित्सीय परीक्षण मे अयोग्य दर्ज है। आपति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

31	विनोद कुमार पे०— राम शंकर पोद्धार	बेगूसराय शहरी रौल न०206	परिवाद है कि चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य घोषित किया गया है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया। जिसमें अयोग्य घोषित है, प्रकाशित मेधा सूची प्रखंड बेगूसराय शहरी में क्र० 10 पर चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
32	राजीव कुमार पे०—कामेश्वर सहनी लोहियानगर	बेगूसराय शहरी रौल न०—162	परिवाद है कि चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य घोषित किया गया है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया। जिसमें अयोग्य घोषित है, प्रकाशित मेधा सूची प्रखंड बेगूसराय शहरी में क्र० 10 पर चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
33	संतोष कुमार पिता— सुधीर कुमार यादव	सा० कमाल रौल न०—484	परिवाद है कि चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य घोषित किया गया है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया। जिसमें अयोग्य घोषित है, प्रकाशित मेधा सूची प्रखंड सा० कमाल में क्र० 127 पर चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
34	गुंजन कुमार पिता— सज्जन यादव	सा० कमाल रौल न०—1189	परिवाद है कि चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य घोषित किया गया है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया। जिसमें अयोग्य घोषित है, प्रकाशित मेधा सूची प्रखंड सा० कमाल में क्र० 124 पर चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
35	अमित कुमार, पिता—सिंघेश्वर सिंह शादीपुर बलिया	बलिया रौल न०—259	परिवाद है कि उसे लम्बी कूद एवं हाय् जम्प में कम अंक मिला है। पुनः परीक्षण हेतु अनुरोध किया है।	समिति द्वारा अभ्यर्थी के मास्टर चार्ट से अंक का मिलान किया गया है। आवेदक श्री अमित कुमार को उची कूद में 02 अंक लम्बी कूद में 04 अंक अंकित है। वहीं प्रकाशित मेधा सूची में भी अंकित है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत	अस्वीकृत

36	बन्दे कुमार पिता— गोरे लाल यादव	बलिया रौल नं0—591	आवेदक का परिवाद है कि गोला में सही अंक मिला किन्तु लम्बी कूद एवं हाई जम्प में कम अंक मिला पुनः अंक परीक्षण किया जाय।	प्रकाशित औवधिक मेधा सूची के बलिया प्रखंड में क्र0 13 पर दर्ज आवेदक बंदे कुमार के मास्टर सूची से अंक का मिलान किया गया। श्री कुमार को लम्बी कूद में 03 अंक उँची कूद में 03 अंक एवं गोला फेंक में 05 अंक कुल मिलाकर 11 अंक प्राप्त हुआ है, जो सही है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
37	धीरेन्द्र कुमार पिता—राम सागर यादव	सा0 कमाल रौल नं0—1136	आवेदक का परिवाद है कि चिकित्सीय जाँच में अयोग्य बताया है। जिससे आवेदक असंतुष्ट है। पुनः चिकित्सीय जाँच हेतु अनुरोध किया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया। जिसमें अयोग्य घोषित है, प्रकाशित औवधिक मेधा सूची में क्र0 130 पर आवेदक श्री धीरेन्द्र चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
38	अनीता कुमारी, पिता—स्व0 मोहित प्र0 यादव सा0 कमाल	सा0 कमाल रौल नं0—23	आवेदिका का परिवाद है कि प्रकाशित मेधा सूची में गॉव का नाम एवं पिता का नाम गलत अंकित है। सुधार हेतु अनुरोध किया है।	मास्टर सूची एवं आवेदिका अनीता कुमारी पिता का नाम स्व0 मोहित प्र0 यादव के बदले स्व0 हरीश प्र0 यादव अंकित हो गया है। तथा ग्राम सालीग्रामी के बदले सा0 कमाल अंकित हो गया है। त्रुटि संशोधित किया गया। आपत्ति स्वीकृत।	स्वीकृत
39	रणवीर कुमार, पिता— सुधीर यादव	सा0 कमाल रौल नं0—1134	आवेदक का परिवाद है कि प्रकाशित मेधा सूची में चिकित्सीय जाँच में अयोग्य घोषित किया गया है। जबकि चिकित्सीय फिट अभ्यर्थी हैं। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया आवेदक चिकित्सीय पीरक्षण में अयोग्य घोषित है। प्रकाशित औवधिक मेधा सूची के क्र0 103 में आवेदक को चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य घोषित किया गया है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
40	राहुल कुमार पिता— अनिल प्रसाद यादव	सा0 कमाल रौल नं0— 132	आवेदक का परिवाद है कि प्रकाशित मेधा सूची में चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज किया गया है। चिकित्सीय जाँच में योग्य कर गृह रक्षकों की बहाली में भर्ती होने का मौका दिया जाय।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया आवेदक चिकित्सीय पीरक्षण में अयोग्य घोषित है। जो प्रकाशित औपर्वधिक मेधा सूची के क्र0 101 में अयोग्य दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

41	गौतम कुमार, पिता –अशोक पोद्दार ग्राम – तियाय दादपुर	भगवानपुर रौल नं0–98	आवेदक का परिवाद है कि प्रकाशित मेधा सूची में चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज किया गया है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया आवेदक चिकित्सीय पीरक्षण में अयोग्य घोषित है। जो प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र0 04 में अयोग्य दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
42	संजीव कुमार पिता— गोरेलाल यादव डंडारी	डंडारी रौल नं0–19	आवेदक का परिवाद है कि प्रकाशित मेधा सूची में चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज किया गया है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया आवेदक चिकित्सीय पीरक्षण में अयोग्य घोषित है। प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची क्र0 03 पर अयोग्य दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत	अस्वीकृत
43	रिटू कुमार पिता—बटोरन साह	सा0 कमाल रौल नं0–964	आवेदक का परिवाद है कि प्रकाशित मेधा सूची में चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज किया गया है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया। आवेदक चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य घोषित है। प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र0 06 पर अयोग्य दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
44	कमलेश कुमार पिता— राम सुमरन प्रसाद सिंह	वीरपुर रौल नं0–33	आवेदक का परिवाद है कि आवेदक को भी – भी में अनफिट कर चिकित्सीय परीक्षण में अनफिट कर दिया गया है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया आवेदक चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य घोषित है। प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र0 06 पर अयोग्य दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
45	राम मूर्ति कुमार पिता— राधे राय	बेगूसराय सदर रौल नं0–831	आवेदक का परिवाद है कि चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज किया गया है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण कराया जाय।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया। आवेदक चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य घोषित है। प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र0 44 पर अयोग्य दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

46	कुमोद रंजन पिता— स्व0 अवनीश कुमार सिंह सा0 कमाल	सा0 कमाल रौल नं0—1354	आवेदक का परिवाद है कि स्वास्थ्य जॉच के कॉलम में अयोग्य दर्शाया गया है जिससे में असहमत हूँ। आवेदक के द्वारा दिनांक 23.05.15 का सदर अस्पताल बेगूसराय का परामर्श पर्ची का मेडिकल चेक अप में NAD-fit दर्ज है। आवेदक के द्वारा पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमें कुमोद रंजन को अयोग्य घोषित किया गया है। प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र0 106 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
47	विकास कुमार पिता— विश्वनाथ पोद्दार लक्ष्मीपुर सा0 कमाल	सा0 कमाल रौल नं0— 1692	आवेदक का परिवाद है कि विभागीय चिकित्सीय जॉच में अयोग्य करार दिया गया है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक के द्वारा 23.07.15 को सदर अस्पताल बेगूसराय का परामर्श पर्ची पर मेडिकल चेकअप में मंतव्य अस्पष्ट है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमें श्री कुमार को अयोग्य घोषित किया गया है। प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र0 133 अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
48	प्रेम कुमार पिता— बाल कृष्ण यादव ग्राम—शालीग्रामी प्र0—सा0 कमाल	सा0 कमाल रौल नं0—1691	आवेदक का परिवाद है कि प्रकाशित मेधा सूची में चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची में मिलान किया गया जिसमें श्री कुमार को अयोग्य घोषित किया गया है। प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र0 116 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
49	रमेश कुमार पे0— नंदन प्रसाद यादव ग्राम—बाबूराही पो0—शालीग्रामी सा0 कमाल	सा0 कमाल रौल नं0—1691	आवेदक का परिवाद है कि प्रकाशित मेधा सूची में चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज है। आवेदक के द्वारा 23.07.15 को सदर अस्पताल बेगूसराय का परामर्श पर्ची पर मेडिकल चेकअप में NAD दर्ज है। आवेदक के द्वारा पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमें श्री कुमार को अयोग्य घोषित किया गया है। प्रकाशित मेधा सूची के क्र0 116 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
50	मनोज कुमार झा पिता— राम कुमार झा ग्राम+पो0— मेधौल प्रखंड—खोदावन्दपुर	खोदावन्दपुर रौल नं0—28	आवेदक का परिवाद है कि प्रकाशित मेधा सूची में चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमें श्री झा को अयोग्य घोषित किया गया है। प्रकाशित मेधा सूची के क्र0 02 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

51	रविराज कुमार, सा० कमाल	सा० कमाल रौल नं०-1083	आवेदक का परिवाद है कि लॉग जम्प के 15+ किया है। जबकि लॉग जम्प में 13+ दर्शाया गया है। अनुरोध है कि लॉग जम्प की जाँच कराया जाय।	आवेदक के मास्टर सूची से मिलान किया गया। आवेदक को ऊँची कूद में 4.6 फीट के लिये 03 अंक लम्बी कूद में 13 फीट से उपर के लिये 02 अंक दिया गया है। प्रकाशित मेधा सूची के क्र0 49 पर योग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
52	अभिषेक कुमार पिता— हरे राम सिंह बरौनी-02 मधुरापुर	तेघड़ा रौल नं०-56	आवेदक का परिवाद है कि प्रकाशित मेधा सूची में चिकित्सीय जाँच में अयोग्य दर्ज किया गया है। आवेदक पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया है।	आवेदक के मास्टर सूची से मिलान किया गया। जिसमें श्री कुमार को अयोग्य घोषित किया गया है। प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र0 18 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
53	प्रिंस कुमार, पिता— नरेश पासवान सा० कमाल	सा० कमाल रौल नं०-176	आवेदक का परिवाद है कि मेधा सूची में अंक और ऊँचाई को सही रूप से जोड़ा नहीं गया है। आवेदक का कहना है कि वास्तविक अंक जोड़ने में गलती है साथ ही ऊँचाई 163 सेमी0 होता है। लेकिन मेधा सूची में अंक 10 तथा ऊँचाई 162 सेमी0 दर्शाया गया है। वास्तविक अंक एवं ऊँचाई हेतु अनुरोध किया है।	प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची एवं मास्टर चार्ट से मिलान किया गया आवेदक श्री प्रिंस को ऊँची कूद के लिए 04 अंक लम्बी कूद के लिए 03 अंक एवं गोला फेक में 04 अंक है। अर्थात् कुल प्राप्तांक 11 अंक है जो सही है आवेदक का दावा है अंक जोड़ के लिए स्वीकृत परन्तु मास्टर चार्ट में आवेदक की ऊँचाई मात्र 162 सेमी0 है जिसके कारण निर्धारित ऊँचाई से कम रहने के कारण आवेदक अयोग्य है। आपत्ति अंक जोड़ के लिए स्वीकृत एवं ऊँचाई के लिए अस्वीकृत।	स्वीकृत
54	अमरजीत मालाकार पिता—सीता राम मलाकार ग्राम+पो०— बसही प्रखंड—चेरियाबरियारपुर	चे० बरियारपुर रौल नं०-15	आवेदक का परिवाद है कि औपचारिक मेधा सूची में अंक सही ढंग से जोड़ा नहीं गया है। मेरा वास्तविक अंक का जोड़ 11 है।	मास्टर सूची से मिलान किया गया। श्री अमरजीत को ऊँची कूद में 4.3 फीट से उपर के लिये 02 अंक लम्बी कूद में 14 फीट से उपर के लिये 03 अंक गोला फेक में 16 फीट से उपर के लिये 01 अंक कुल 06 अंक प्राप्त है। जो प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र0 24 पर दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

55	अमित कुमार, पिता—विजय कुमार दास ग्राम—विष्णुपुर देवी स्थान वार्ड नं0—42 बेगूसराय	बेगूसराय शहरी रौल नं0—112	चिकित्सीय जाँच में KNOCKING KNEE में डॉक्टर साहब द्वारा अनफीट कर डी0एम0 साहब एवं होम गार्ड कार्यालय को भेजा गया है। जबकि मुझे सफल घोषित किया गया है।	औपचारिक मेधा सूची में क्र0 सं0 09 पर अयोग्य दर्ज करते हुए चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य घोषित किया गया है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
56	गगण चरण पिता— महेश्वर प्र0 यादव शालीग्रामी सा0 कमाल	सा0 कमाल रौल नं0— 243	आवेदक का परिवाद है कि चिकित्सीय जाँच में योग्य बनाने हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया श्री गगण चरण चिकित्सीय में अयोग्य घोषित है। प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र0 184 पर अस्थायी अयोग्य सूची में दर्ज है। पुनः चिकित्सीय जाँच की माँग को अस्वीकृत किया गया।	अस्वीकृत
57	अभिषेक कुमार, पिता— इन्द्रजीत रजक मल्हीपुर शालीग्रामी सा0 कमाल	सा0 कमाल रौल नं0— 371	आवेदक का परिवाद है कि चिकित्सीय जाँच में योग्य बनाने हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया श्री गगण चरण चिकित्सीय में अयोग्य घोषित है। प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र0 118 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
58	विकेश यादव	बेगूसराय ग्रामीण क्र0—383	आवेदक का परिवाद है कि चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य घोषित किया गया है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमें अयोग्य दर्ज है। प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र0 40 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
59	सदानंद कुमार पिता— राम शंकर सिंह उलाव बेगूसराय	बेगूसराय ग्रामीण रौल नं0 —45	परिवाद है कि मेडिकल जाँच में अनफीट कर दिया गया है। मेडिकल रेफर कर मेडिकल जाँच कराने हेतु अनुरोध किया है। साथ ही 23.07.15 का सदर अस्पताल बेगूसराय का परामर्श पर्ची पर मेडिकल चेकअप में एन0ए0डी0 फीट दर्ज है। आवेदक के द्वारा पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमें अयोग्य दर्ज है। प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र0 45 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

60	अनिल सहनी पिता— लाल चंद्र सहनी ग्राम+पो0— मङ्गैल च० बरिवारपुर	चेरियाबरियारपुरु रौल नं0—53	आवेदक का परिवाद है कि चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य दर्ज है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमें अयोग्य दर्ज है। प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र0 53 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
61	विजय कुमार पिता— उदेश्वर प्रसाद यादव ग्राम – तुलसीटोल बलिया	बलिया रौल नं0— 530	आवेदक का परिवाद है कि हाईजम्प एवं सभी प्रक्रिया में कम अंक दर्शाया गया है। अंक जॉच करने हेतु अनुरोध किया गया है।	आवेदक के मास्टर सूची से अंक का मिलान किया गया श्री कुमार को ऊँची कूद में शून्य लम्बी कूद में 02 अंक गोला फुक में 01 अंक कुल 03 अंक प्राप्त है। निर्धारित अहर्ता ऊँचाई 162.56 से कम रहने के कारण प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र0 71 पर अयोग्य दर्ज है। साथ ही साथ चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमें अयोग्य घोषित किया गया है। जो प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र0 71 पर अयोग्य दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
62	राजीव कुमार, पिता—उमेश यादव प्रखंड – सा0 कमाल	सा0 कमाल रौल नं0— 526	आवेदक का आपत्ति है कि जोड़ने पर वास्तविक अंक 11 होता है लेकिन प्रकाशित मेधा सूची में अंक जोड़ कर 06 अंक ही दर्शाया गया है। अंक का योग सही करने हेतु अनुरोध किया है।	आवेदक के मास्टर सूची से अंक का मिलान किया गया आवेदक का कथन सत्य पाया गया है। मास्टर सूची में ऊँची कूद में 03 अंक लम्बी कूद में 03 अंक एवं गोला फेंक में 05 अंक कुल मिलाकर 11 अंक प्राप्त है। जिसे सुधार किया जा सकता है। आपत्ति आवेदन स्वीकृत।	स्वीकृत
63	सुदामा कुमार पै0—रामरूप यादव तुलसी टोल बलिया	बलिया रौल न0 486	आवेदक का परिवाद है कि दौड़, हाई जम्प लॉग जम्प एवं गोला फेंकने के पश्चात मेरा अंक 13 था। मेधा सूची में धॉधली कर 10 अंक दिया गया है। वाजिव परीक्षा फल देने हेतु अनुरीध किया है।	आवेदक के मास्टर सूची से अंक का मिलान किया गया। श्री सुदामा कुमार ऊँची कूद में 2 अंक लम्बी कूद में 3 अंक और गोला फेंकने में 5 अंक कुल मिलाकर 10 अंक प्राप्त है जो सही है चिकित्सीय परीक्षण मोर्स्टर चार्ट से मिलान किया गया है। चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य सूची में दर्ज है जो मेधा सूची क्रमांक 68 पर अयोग्य सूची दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

64	संगीता कुमारी ग्राम हसनपुर बागर नावकोठी	नावकाठी रौल न0 1	आवेदिका का परिवाद है कि मेरे पति का नाम सोना कुमार तथा पिता का नाम राम यतन सिंह है। पति के नाम मे पिता कर दिया गया है।	आवेदिका के मास्टर चार्ट एवं आवेदन से मिलान किया गया। आवेदिका का कथन सत्य है। पिता के स्थान पर पति किया जा सकता है। आपति आवेदन स्वीकृत।	स्वीकृत
65	विकेश कुमार पिता लालो महतो ग्राम पोस्ट सा0 कमाल	सा0 कमाल रौल न0—1549	आवेदक का आपत्ति है कि लम्बी कूद मे मात्र 01 अंक है। पुनः लम्बी कुद करवाने हेतु अनुरोध किया गया है।	आवेदक के मास्टर सूची से अंक का मिलान किया गया आवेदक को ऊँची कूद मे 2 अंक लम्बी कूद मे 2 अंक गोला फेक में 5 अंक कुल 9 अंक प्राप्त है जो सही है। आपति आवेदन अस्वीकृत	अस्वीकृत
66	सज्जन कुमार पे0 औतार प्रसाद यादव	बलिया रौल न0171	आवेदक का परिवाद है कि दौड हाई जम्प लॉग जम्प एवं गोला फेक मे 13 अंक है। प्रकाशित मेधा सूची में 08 अंक दर्शाया गया है। पुन अंक जाँच करने हेतु अनुरोध किया है।	आवेदक के मास्टर सूची से मिलान किया गया ऊँची कूद मे 01 अंक लम्बी कूद मे 3 अंक एवं गोला फेकने मे 4 अंक कुल मिलाकर 8 अंक प्राप्त है जो सही है। आपति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
67	शरद कुमार, पे0— खखोरन यादव बलिया	बलिया रौल नं0—784	आवेदक का परिवाद है कि दौड हाई जम्प लॉग जम्प एवं गोला फेक मे 13 अंक है। प्रकाशित मेधा सूची मे 9 अंक दर्शाया गया है। पुन अंक जाँच करने हेतु अनुरोध किया है।	आवेदक के मास्टर सूची से मिलान किया गया। ऊँची कूद मे 2 अंक लम्बी कूद मे 3 अंक गोला फेक मे 4 अंक कुल मिलाकर 9 अंक प्राप्त है। जो सही है। आपति आवेदन अस्वीकृत	अस्वीकृत
68	शशि धर कुमार लालो प्रसाद यादव ग्राम — पोस्ट शालीग्रामी सा0 कमाल	सा0 कमाल रौल न0 324	आपत्ति है कि पिता के नाम मे सुधार किया जाय।	मास्टर चार्ट से मिलान किया गया पिता का नाम लालो प्रसाद यादव है। जो सही है। सुधार किया जा सकता है। आवेदन स्वीकृत।	स्वीकृत

69	शम्भू कुमार, पे0— राम शंकर राय अकबरपुर शाम्हो	साम्हो रौल न0 56	आपति है कि लम्बी कूद मे मात्र 01 अंक दर्शाया गया है। जबकि 03 अंक प्राप्त करने के माप दंड को पुरा किया है। पुनः लम्बी कूद कराया जाय।	मास्टर चार्ट से मिलान किया गया आवेदक के लम्बी कूद के कॉलम मे 01 अंक एवं ऊँची कूद मे 05 अंक गोला फेक मे 05 अंक कुल 11 अंक प्राप्त है जो सही है। आपति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
70	अंकित कुमार पे0 रामदेव मंडल दामोदरपुर भगवानपुर	भगवानपुर रौल न0-4	परिवाद है कि चिकित्सीय ऊँच मे अयोग्य कर दिया गया है। पुनः चिकित्सीय ऊँच परीक्षण हेतु अनुरोध किया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमे अयोग्य धोषित किया गया है। प्रकाशित मेधा सुची के क्रमांक 2 मे अयोग्य सूची मे दर्ज है। आपति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
71	बजरंग कुमार, पे0— सुरेश महतो ग्राम — पोस्ट नवादा प्रखड बछवाडा	बछवाडा रौल न0—	परिवाद है कि मैदान मे ऊँची कूद मे 4 फीट 3 इंच लम्बी कूद मे 14 फीट तथा गोला फेक मे दूरी 18 फीट से ऊपर किया हूँ लेकिन मेधा सुची मे प्रातांक की कटोती की गई है जिस पर मुझे धोर आपति है।	मास्टर सूची से मिलान किया आवेदक को ऊँची कूद मे 01 अंक लम्बी कूद मे 01 अंक गोला फेक मे 02 अंक कुल मिलाकर 04 अंक प्राप्त हुआ है। जो सही है। आपति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
72	लक्ष्मण कुमार पे0 –उपेन्द्र सिंह रामदीरी मटिहानी	मटिहानी रौल न0— 3	आपति है कि गृह रक्षक भर्ती प्रक्रिया मे पाईन्ट कम कर दिया गया है मुझे रिपाईन्ट बढाने की कृपा की जाय।	आवेदक के मास्टर चार्ट से मिलान किया गया आवेदक को ऊँची कूद मे 2 अंक लम्बी कूद मे 3 अंक गोला फेक मे 4 अंक कुल 9 अंक प्राप्त है। जो सही है। आपति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
73	गोपाल कुमार पे0— गंगा प्रसाद सिंह रामदीरी नकटीटोल मटिहानी	मटिहानी रौल न0-68	आपति है कि गृह रक्षक भर्ती प्रक्रिया मे पाईन्ट कम कर दिया गया है मुझे रिपाईन्ट बढाने की कृपा की जाय।	आवेदक के मास्टर चार्ट से मिलान किया गया। आवेदक को ऊँची कूद मे 1 अंक लम्बी कूद मे 1 अंक गोला फेक मे 5 अंक कुल 7 अंक प्राप्त हैं जो सही है। आपति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

74	अवनीश कुमार पे० अरुण प्रसाद यादव शाली ग्रामी सा० कमाल	सा० कमाल रौल न०— 817	परिवाद है कि फिर सें नम्बर जाँच की प्रक्रिया की जाय।	आवेदक के मास्टर चार्ट से मिलान किया गया । आवेदक को ऊँची कूद मे 3 अंक लम्बी कूद मे 2 अंक गोला फेक मे 5 अंक कुल 10 अंक प्राप्त है जो सही है आपत्ति आवेदन अस्वीकृत ।	अस्वीकृत
75	रंजीत कुमार पे० मदेश यादव	सा० कमाल रौल न०—1247	परिवाद है कि चिकित्सीय परीक्षण मे अयोग्य घोषित किया गया है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण मास्टर चार्ट सूची से मिलान किया गया जिसमे अयोग्य घोषित किया गया है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 115 पर अयोग्य सूची मे नाम दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत ।	अस्वीकृत
76	आदित्य राज पे० उमेश प्रसाद यादव रघुनाथ पुर सा० कमाल	सा० कमाल रौल न०—871	परिवाद है कि चिकित्सीय परीक्षण मे अयोग्य घोषित किया गया है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण मास्टर चार्ट सूची से मिलान किया गया जिसमे आवेदक को अयोग्य घोषित किया गया है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 112 पर अयोग्य सूची मे नाम दर्ज है। आवेदन अस्वीकृत ।	अस्वीकृत
77	रजनीश कुमार पे०— गुरुदेव यादव	सा० कमाल रौल न०—292	आपत्ति है कि अन्य आवेदक द्वारा बताया गया है कि 13 अंक मिला है। किन्तु मेधा सूची मे 8 अंक दर्ज है। पुनः अंक की जाँच हेतु अनुरोध किया गया है।	आवेदक के मास्टर सूची से मिलान किया गया श्री रजनीश कुमार को ऊँची कूद मे 3 अंक लम्बी कूद मे 1 अंक एवं गोला फेक मे 5 अंक कुल 9 अंक होना चाहिए किन्तु मेधा सूची के प्रातांक मे अंक सही है किन्तु जोड़ गलत है। जो सही कर दिया गया है। आपत्ति आवेदन स्वीकृत ।	स्वीकृत
78	श्याम सुन्दर साह बसही कोरजाना चै० बरियारपुर	चै० बरियारपुर रौल न० —113	परिवाद है कि चिकित्सीय परीक्षण मे असफल घोषित कर दिया गया है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता मे इन्टर पास हूँ लकिन मेधा सूची मे सप्तम पास दर्ज किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमे अयोग्य घोषित किया गया है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 27 पर अयोग्य सूची मे नाम दर्ज है। आवेदन का अवलोकन किया गया आवेदन के साथ इन्टर का अंक पत्र संलग्न है। प्रकाशित मेधा सूची मे सूधार किया गया। आपत्ति आवेदन स्वीकृत ।	स्वीकृत

79	शशि भूषण प्रसाद पे0— शंकर प्रसाद यादव सा0 कमाल	सा0 कमाल रौल न0—78	परिवाद है कि चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य घोषित किया गया है। पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण का मिलान मास्टर चार्ट से किया गया जिसमें अयोग्य घोषित है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 117 पर अयोग्य सूची में नाम दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
80	प्रशांत कुमार पे0 रामवृक्ष प्रसाद यादव मल्हीपुर शालीग्रामी सा0 कमाल	सा0 कमाल रौल न0— 139	आपत्ति है कि मास्टर सूची में 14 अंक के बदले 12 अंक दिया गया है साथ ही मेडिकल में भी अनफिट कर दिया गया है। पुनः जाँच हेतु अनुरोध किया है।	मास्टर सूची से अंकों का मिलान किया जिसमें ऊँची कूद में 3 अंक लम्बी कूद में 4 अंक गोला फेक में 5 अंक कुल 12 अंक प्राप्त हैं, जो सही है। चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया जिसमें अयोग्य घोषित है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 108 पर अयोग्य सूची में नाम दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
81	राजा कुमार पिता— आँफिसर महतो ग्राम शालीग्रामी पोस्ट —थाना सा0 कमाल बेगुसराय	सा0 कमाल रौल न0— 869	परिवाद है कि मुझे चिकित्सीय जाँच में योग्य बनाने की कृपा की जाय	चिकित्सीय परीक्षण का मास्टर सूची से मिलान किया गया आवेदक चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य है। प्रकाशित औपबंधित मेधा सूची के क्रमांक 128 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
82	सुनील कुमार पे0— लाल महतो मल्हीपुर शालीग्रामी	सा0 कमाल रौल न0—1106	परिवाद है कि मुझे चिकित्सीय जाँच में योग्य बनाने की कृपा की जाय	चिकित्सीय परीक्षण का मास्टर सूची से मिलान किया गया आवेदक चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य है। प्रकाशित औपबंधित मेधा सूची में क्रमांक 129 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
83	मनीष कुमार पिता—नरेश प्रसाद साह शालीग्रामी सा0 कमाल	सा0 कमाल रौल न0 143	परिवाद है कि मुझे चिकित्सीय जाँच में योग्य बनाने की कृपा की जाय	चिकित्सीय परीक्षण का मास्टर सूची से मिलान किया गया आवेदक चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य है। प्रकाशित औपबंधित मेधा सूची में क्रमांक 119 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

84	प्रिंस कुमार, पिता—राम विलाश यादव	बेगूसराय शहरी रौल न0 59	आवेदक का परिवाद है कि गृह रक्षक बहाली मे शारीरिक माप एवं दौड़ मे योग्य हूँ एवं चिकित्सीय जाँच मे सफल हुँ किन्तु किसी कारण वश अयोग्य सूची मे दर्ज किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया । श्री प्रिंस कुमार चिकित्सीय परीक्षण मे अयोग्य धोषित किया गया हैं जो प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक11 मे अयोग्य सूची मे दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
85	राम किशोर कुमार पे0 विशुनदेव पासवान साम्हो	साम्हो रौल न0-87	परिवाद है कि योग्यता मे मैट्रिंक की जगह नन मैट्रिंक होना चाहिए । संचिका मे सुधार करने हेतु अनुरोध किया गया है।	आवेदक के मास्टर सूची एवं आवेदन की जाँच की गई। आवेदक के द्वारा नामांकन हेतु दिये गये आवेदन मे योग्यता मैट्रिंक अंकित किया गया है जिसके कारण मास्टर सूची एवं मेधा सूची मे मैट्रिंक अंकित किया गया है,किन्तु अंक पत्र के जाँच मे मैट्रिंक अनुतीर्ण है । अतः वर्तमान मे दिये गये आवेदन के आधार पर सुधार किया गया । आवेदन स्वीकृत।	स्वीकृत
86	कविता कुमारी पिता—श्री अमरनाथ झा	बेगूसराय शहरी रौल न0— 41	परिवाद है कि परीक्षा मे हर प्रक्रिया मे मेरा अंक 10 / 15 था । मेधा सूची मे मुझे केवल 3 / 15 दिया गया है । जिससे मै सहमत नहीं हुँ पुनः जाँच किया जाय ।	आवेदक के मास्टर सूची से अंक का मिलान किया गया आवेदिका को ऊँची कूद मे 02 अंक लम्बी कूद मे शून्य अंक एवं गोला फेक मे 01 अंक अर्थात कुल 03 अंक प्राप्त हैं । जो मेधा सूची के क्रमांक 7 पर योग्य सूची मे 03 अंक के साथ दर्ज है । आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
87	गुंजन कुमारी, ग्राम—शाम्हों प्रखंड —शाम्हों	शाम्हों अकहा कुरहा रौल न0— 03	आवेदिका परिवाद का परिवाद है कि शारीरिक दक्षता एवं चिकित्सीय परीक्षक मैं पास है परन्तु शाम्हों प्रखंड के सामान्य वर्ग की महिला का कोई रिवित नहीं है।	शाम्हों प्रखंड मैं महिला के लिए मात्र एक रिवित है जो कि पिछड़े वर्ग की महिला के लिए हैं। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
88	सरिता कुमारी पति राज किशोर यादव ग्राम — हुसैना प्रखंड डंडारी	डंडारी रौल न0-03	परिवाद हैं कि मुझे शारीरिक परीक्षण मे 2 अंक प्राप्त हुआ है । किन्तु चिकित्सीय परीक्षण मे अयोग्य धोषित कर दिया गया है । पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध किया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया । चिकित्सीय परीक्षण मे अयोग्य धोषित किया गया है । प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 1 पर अयोग्य सूची मे 2 अंक के साथ दर्ज है । परिवाद अस्वीकृत।	अस्वीकृत

89	प्रेम कुमार पे०-हरेराम यादव बलिया	बलिया रौल न०- 102	परिवाद है कि फिल्ड मे मेरा अंक 13 बताया गया था किन्तु मेधा सूची मे 2 अंक दर्शाया गया है। पुनः जाँच हेतु अनुरोध किया गया है।	आवेदक के मास्टर सूची से अंक का मिलान किया गया जिसमे ऊँची कूद मे 01 अंक लम्बी कूद मे शून्य अंक एवं गोला फेकने मे 01 अंक दर्ज है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 66 मे योग्य सूची मे दर्ज है। परिवाद अस्वीकृत।	अस्वीकृत
90	सिकन्दर पासवान पे०- राम प्रकाश पासवान भगवानपुर	भगवानपुर रौल न०- 93	परिवाद है कि चिकित्सीय जाँच मे अयोग्य कर दिया गया है। पुनः चिकित्सीय जाँच हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया । श्री प्रिंस कुमार को चिकित्सीय परीक्षण मे अयोग्य घोषित किया गया हैं जो प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 03 मे अयोग्य सूची मे दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
91	सोनू कुमार पे०- उमेश सिंह रामदीरी मटिहानी	मटिहानी रौल न०-41	परिवाद है कि भरती प्रक्रिया मे पाईन्ट कम कर दिया गया है। पाईन्ट बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया है।	आवेदक के मास्टर सूची से अंक का मिलान किया गया जिसमे ऊँची कूद मे शून्य अंक लम्बी कूद मे 01 अंक एवं गोला फेकने मे 05 अंक कुल मिलाकर 06 अंक प्राप्त है। जो प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 31 पर योग्य सूची मे 06 अंक के साथ दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
92	रणधीर कुमार पे०- किशोर प्रसाद सिंह सा० कमाल	सा० कमाल रौल न०-196	परिवाद है कि लम्बी कूद मे 16 फीट से ऊपर किये थे किन्तु मेधा सूची मे 14 फीट से ऊपर ही दिखाया गया है। अपने स्तर से जाँच हेतु अनुरोध किया गया है।	आवेदक के मास्टर सूची से अंक का मिलान किया गया जिसमे लम्बी कूद मे 3 ऊँची कूद मे 3 एवं गोला फेक मे 5 अंक कूल मिलाकर 11 अंक प्राप्त है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 26 पर योग्य सूची मे दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
93	अजीत कुमार पे०- उपेन्द्र प्रसाद यादव छरॉपटी	सा० कमाल रौल न०-1160	परिवाद है कि सदर अस्पताल बेगूसराय चिकित्सीय जाँच मे अयोग्य कर दिया गया है। दोबारा मेडिकल जाँच हेतु अनुरोध किया है।	आवेदक के चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमे अयोग्य घोषित किया गया है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 123 पर अयोग्य सूची मे दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

94	विजय कुमार पे०— सुरेश पासवान भैरवार बेगूसराय	बेगूसराय ग्रामीण रौल न०—३५०	परिवाद है कि अपना मेडिकल जॉच कराया हूँ जिसमे पुनः फिट हूँ साथ मे डॉ० नल निरंजन बेगूसराय का परामर्शी पर्चा संलग्न है जिसमे ऑरथोपीडिकली फिट दर्शाया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण मे मास्टर सूची से मिलान किया गया है जिसमे अयोग्य धोषित किया गया है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 41 पर अयोग्य सूची मे दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
95	सुदामा कुमार बलिया	बलिया रौल न०— ४८६	परिवाद है कि मेडिकल अनफिट के कारण पुनः मेडिकल जॉच कराया जाय।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर चार्ट से मिलान किया गया जिसमे अयोग्य धोषित किया गया है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 68 पर अयोग्य सूची मे दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
96	प्रेम कुमार पे०— राम ईश्वर यादव	बलिया रौल न०—८४४	आवेदक का परिवाद है कि मुझे ऊँची कूद मौ ४ अंक लम्बी कूद मे ५ अंक दिया गया है जो सही है किन्तु गोला फेक मे मुझे ५ अंक के स्थान पर ४ अंक दिया गया है जबकि मे २१ फीट से ऊपर फेका हूँ।	आवेदक के मास्टर चार्ट से अंक का मिलान किया। जिसमें आवेदक को ऊँची कूद मौ ४ अंक लम्बी कूद मे ५ अंक एवं गोला फेक मे ४ अंक कुल मिला कर १३ अंक दर्शाया गया है प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक ४ पर योग्य सूची मे दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
97	संजीला कुमारी पे०— स्व० राम शंकर सिंह	बेगूसराय रौल न०— ८१	आवेदिका का परिवाद है कि गृह रक्षक बहाली मे ज्यादा भीड़ होने के कारण हाईट नाप मे गडबडी हो जाने के कारण मेरा हाईट कम कर दिया गया है। पुनः नाप हेतु अनुरोध किया है।	आवेदिका के मास्टर चार्ट से मिलान किया गया है। आवेदिका का ऊँचाई १५० से०मी० मात्र है। और ऊँचाई माप के उरान्त इस आशय का आवेदिका के द्वारा हस्ताक्षर भी लिया गया है। साथ ही साथ इस हेतु प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के द्वारा अन्डर हाईट मास्टर सूची पर दर्ज है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक १३ पर अयोग्य सूची मे दर्ज है। परिवाद अस्वीकृत।	अस्वीकृत

98	नीरज कुमार पे० विपिन देव प्रसाद यादव बलिया	बलिया रौल न०— 623	आवेदक का परिवाद है कि मेरा ऊचाई 165 के बदले 164.2 कर दिया गया और योग्यता अंक 7 दिया गया है जबकि मेरा अंक इससे ज्यादा है। अंक सुधार हेतु अनुरोध किया गया है।	आवेदक के मास्टर सूची से अंक का मिलान किया गया जिसमे आवेदक की ऊचाई 164.2 सेमी० है। आवेदक को ऊँची कूद मे 2 अंक लम्बी कूद मे 2 अंक एवं गोला फेकने मे 3 अंक कुल मिलाकर 7 अंक प्राप्त है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 48 पर योग्य सूची मे दर्ज है। परिवाद अस्वीकृत	अस्वीकृत
99	मनोहर पासवान पे०— मटुकदेव पासवान	सा० कमाल रौल न०— 578	परिवाद है कि जन्म तिथि 01.01.1991 है जो लिस्ट मे चढ़ाया नहीं गया है। मेरा जन्म तिथि चढ़ा दिया जाए।	आवेदक के मास्टर सूची एवं दिये गये मूल आवेदन एवं अनुलग्नक का समिति द्वारा जाँच किया गया। आवेदक के द्वारा मूल आवेदन मे जन्म तिथि का उल्लेख नहीं किया है मात्र उम्र 20 वर्ष लिखा गया है साथ ही न ही आवेदन के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र का साक्ष्य संलग्न किया है और न ही आवेदक के साथ जन्म तिथि का साक्ष्य संलग्न किया है। आवेदक आपत्ति अस्वीकृत।	अस्वीकृत
100	आशीष कुमार पे०—विजेन्द्र प्र० यादव	रौल न०—62	परिवाद है कि मुझे 14 अंक के बदले 12 अंक ही मास्टर चार्ट मे दिया गया है। इतना ही नहीं मेडिकल मे भी अनफिट कर दिया गया है।	आवेदक के मास्टर चार्ट से अंक का मिलान किया गया जिसमे ऊँची कूद मे 4 अंक लम्बी कूद मे 3 अंक एवं गोला फेक मे 5 अंक कूल मिलाकर 12 अंक प्राप्त है। चिकित्सीय परीक्षण से मास्टर सूची से मिलान किया जिसमे अयोग्य धोषित किया गया है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 109 पर अयोग्य सूची मे दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
101	मनीष कुमार पिता— अखलेश्वर प्रसाद सिंह	तेघड़ा रौल नं—51	परिवाद है कि चिकित्सीय जाँच मे अयोग्य कर दिया गया है। पुनः चिकित्सीय जाँच हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया चिकित्सीय परीक्षण मे अयोग्य धोषित किया गया है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 19 पर अयोग्य सूची मे दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

102	पंकज कुमार पे०-रामाकान्त महतों पासोपुर भगवानपुर	भगवानपुर रौल न० 34	आवेदक का परिवाद है कि दौड़ मे अनावश्यक कारण से ऊँचाई माप मे हटा दिया गया जबकि मेरे से कम कद वाले को सफल धोषित किया गया है।	आवेदक के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमे आवेदक की ऊँचाई 161.2 सेमी० है जो निर्धारित आहर्ता ऊँचाई से कम है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 34 पर अयोग्य सूची मे दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
103	रमेश कुमार पे०- योगेन्द्र यादव विष्णुपुर आहोक सा० कमाल	सा० कमाल रौल न० 993	परिवाद है कि मेरा वास्तविक री-मेडिकल करने की कृपा की जाय।	आवेदक के चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमे अयोग्य धोषित किया गया है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 148 के अयोग्य सूची मे दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
104	मुकेश कुमार पे०— सत्यनारायण यादव विष्णुपुर आहोक सा० कमाल	सा० कमाल रौल न० 06	परिवाद है कि पुनः चिकित्सीय परीक्षण कराया जाय।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमे अयोग्य धोषित किया गया है। प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक 136 पर अयोग्य सूची मे दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
105	अमर कुमार पिता-काशी लाल राय खड़गपुर	मटिहानी रौल नं०-१६	परिवाद है कि जन्म तिथि 08.05.1987 है मेधा सूची में 08.09.1987 दिया गया है। जो गलत है और लॉग जम्प एवं गोला फेक में कम अंक दिया गया है। जन्म तिथि एवं अंक सुधार हेतु अनुरोध किया गया ।	आवेदक के मास्टर चार्ट एवं दिये गये आवेदन एवं अनुलग्नक का समिति द्वारा जाँच किया गया। आवेदक के द्वारा आवेदन में जन्म तिथि दर्ज नहीं किया गया है। संलग्न मैट्रिक अंक पत्र में आवेदक का जन्म तिथि 05.08.1987 अंकित है जो सही है। मास्टर सूची एवं प्रकाशित मेधा सूची में 09.08.1987 अंकित है जो गलत है आपत्ति का निराकरण किया जा सकता है। मास्टर सूची में आवेदक को ऊँची कूद में 02 अंक लम्बी कूद में 02 अंक एवं गोला फेक में 04 अंक कुल 08 अंक प्राप्त है। प्रकाशित मेधा सूची के क्र० 22 पर 08 अंक के साथ योग्य सूची में दर्ज है। जन्म तिथि सुधार हेतु आपत्ति स्वीकृत एवं अंक सुधार किया	स्वीकृत

106	सूरज कुमार पिता—ललित यादव शालीग्रामी सा० कमाल	सा० कमाल रौल नं०—१७७	परिवाद है कि री—मेडिकल कराया जाय।	आवेदक के चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमें अयोग्य घोषित किया गया है। प्रकाशित औपचारिक मेधा सूची के क्र० 126 पर अयोग्य सूची पर दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
107	दीपक कुमार पिता—वकील प्रसाद यादव सा० कमाल	सा० कमाल रौल नं०—१५	परिवाद है कि चिकित्सीय जाँच मे अयोग्य कर दिया गया है। पुनः चिकित्सीय जाँच हेतु अनुरोध किया गया है।	आवेदक के चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमें अयोग्य घोषित किया गया है। प्रकाशित मेधा के क्र० 137 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
108	अमृता कुमारी पिता— कौशल किशोर सिंह रहुआ सा० कमाल	सा० कमाल रौल नं०—०८	आवेदिका का परिवाद है कि गृ० भर्ती प्रक्रिया में पाइन्ट कम कर दिया गया है। रीपाइन्ट कराने हेतु अनुरोध किया गया है।	आवेदिका के मास्टर सूची से अंक का मिलान किया गया जिसमें उँची कूद में ०१ अंक लम्बी कूद में ०० एवं गोला फेंक में ०१ अंक कुल ०२ अंक प्राप्त है। प्रकाशित मेधा सूची के क्र० ०५ पर योग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
109	सरिता कुमारी पिता— विद्यानंद चौधरी मोहन ऐंडु शहरी, बेगूसराय	बेगूसराय ग्रामीण रौल नं०—०१	आवेदिका का परिवाद है कि बि०गृ०रक्षा वाहिनी भर्ती प्रक्रिया में हाईट कम कर दिया गया है। पुनः हाईन जाँच कराने हेतु अनुरोध किया गया है।	आवेदिका के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमें निर्धारित आहर्ता ऊँचाई १५३ सेमी० है जबकि आवेदिका की ऊँचाई मात्र १५२ सेमी० ही पाया गया है प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के द्वारा इस आशय का हस्ताक्षर मेधा सूची में भी आवेदिका से करा लिया गया है। प्रकाशित मेधा सूची के क्र० ०६ पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

110	सीतांशु कुमार, पिता— सत्येन्द्र यादव ग्राम—ताजपुर थाना—बलिया	बलिया रौल नं0—600	आवेदक का परिवाद है कि मेरा ऊँचाई 165 सेमी0 के बदले 164 सेमी0 कर दिया गया है और योग्यता अंक 06 दिया गया है। पुनः ऊँचाई मापने हेतु अनुरोध किया है।	आवेदक के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमें निर्धारित आहर्ता ऊँचाई 162.56 सेमी0 से अधिक 164 सेमी0 है जिसमें उँची कूद 01 अंक लम्बी कूद 02 अंक एवं गोला फेक में 03 अंक कुल मिलाकर 06 अंक प्राप्त है। प्रकाशित मेधा सूची के क्र0 51 पर 06 अंक के साथ योग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
111	मीना कुमारी पति – राम कुमार महतों ग्राम—सागी डीह खोदावन्दपुर	खोदावन्दपुर रौल नं0—03	आवेदिका का परिवाद है कि मेरी ऊँचाई 165.1 सेमी0 है लेकिन चिकित्सीय जॉच में अयोग्य कर दिया गया है। पुनः चिकित्सीय जॉच कराने हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमें अयोग्य घोषित है। प्रकाशित मेधा सूची के क्र0 01 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
112	रिन्टु कुमारी पति –स्व0 लोकेश प्र0 सिंह दहिया	भगवानपुर रौल नं0—30	परिवाद है कि मेरी लम्बाई निर्धारित सीमा से कम बताते हुए हस्ताक्षर करवाकर मुझे अन्य प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया गया। मेरी वास्तविक ऊँचाई 155 सेमी0 है जबकि गृह रक्षक महिला के लिए 153 सेमी0 ही निर्धारित है। पुनः लम्बाई मापने हेतु अनुरोध किया गया है।	महिला अभ्यर्थी के लिए अहर्ता ऊँचाई 153 सेमी0 है आवेदिका की ऊँचाई माप के अनुसार मात्र 151.1 सेमी0 है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का इस आशय का हस्ताक्षर भी आवेदिका के द्वारा करवा लिया गया है। प्रकाशित मेधा सूची के क्र0 07 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
113	प्रीति कुमारी पिता— रामाशीष चौरसिया प्रखंड—वीरपुर	वीरपुर रौल नं0—11	आवेदिका का परिवाद है कि मुझे उँची कूद, लम्बी कूद एवं गोला फेक में उचित अंक नहीं मिला पुनः अंक जॉच हेतु अनुरोध किया है।	आवेदिका के मास्टर चार्ट से अंक का मिलान किया गया जिसमें उची कूद में 01 अंक लम्बी कूद में शून्य अंक एवं गोला फेक में 01 अंक कुल मिलाकर 02 अंक प्राप्त है। प्रकाशित मेधा सूची में क्र0 01 पर योग्य में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

114	रानी कुमारी पिता—रामाशीष चौरसिया प्र0 वीरपुर	वीरपुर रौल नं0—12	परिवाद है कि मुझे उँची कूद लम्बी कूद, गोला फेक में उचित अंक नहीं मिला। अंक जॉच हेतु अनुरोध किया है।	आवेदिका के मास्टर सूची से अंक का मिलान किया गया है। जिसमें आवेदिका को उँची कूद में शून्य लम्बी कूद में शून्य गोला फेक में 01 अंक कुल मिलाकर 01 अंक प्राप्त है। प्रकाशित मेधा सूची के क्र0 02 पर योग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
115	रामहित पंडित पे0—रामदेव पंडित ग्राम—चॉदपुरा	ग्रामीण बेगूसराय रौल नं0—506	परिवाद है कि मेरे हिसाब से मुझे कम अंक आया है। मुझे और अंक मिलना चाहिए। अंक सुधार हेतु अनुरोध किया गया है।	ओवेदक के मास्टर चार्ट से अंक का मिलान किया गया। आवेदन को उँची कूद में 01 अंक लम्बी कूद में 01 अंक एवं गोला फेक में 02 अंक कुल मिलाकर 04 अंक प्राप्त है। प्रकाशित मेधा सूची के क्र0 29 पर योग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
116	रविन्द्र कुमार पिता—लूचो महतों प्रखंड— तेघड़ा	तेघड़ा रौल नं0—158	परिवाद है कि मेडिकल जॉच में केऽकेऽजॉच में अयोग्य कर दिया गया है। जबकि पूर्ण रूप से योग्य है। पुनः मेडिकल जॉच कराने हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय परीक्षण के मास्टर सूची से मिलान किया गया जिसमें अयोग्य घोषित है। प्रकाशित मेधा सूची के क्र0 21 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
117	विकेश कुमार पिता—लालो महतों ग्राम+पो0—सा0 कमाल	सा0 कमाल रौल नं0—1549	आवेदक का परिवाद है कि मेरा वास्तविक पता सा0 कमाल परता है। एवं योग्यता अष्टम दिया गया था किन्तु पता एवं योग्यता मैट्रिक जो कि गलत अंकित कर दिया गया है। पता एवं योग्यता में सूधार करने हेतु अनुरोध किया गया है।	आवेदक के मास्टर चार्ट एवं आवेदन के साथ संलग्न अनुलग्नक का समिति द्वारा जॉच किया गया है। आवेदक का आपत्ति सहीं पाया गया आवेदक का ग्राम+पो0+थाना—सा0 कमाल है। तथा आवेदक अष्टम उत्तीर्ण है। जिसमें सुधार किया गया है। आपत्ति आवेदन स्वीकृत।	स्वीकृत

118	अमरजीत कुमार पिता—राम भरोस यादव ग्राम+पो0—छरापटी सा0 कमाल	सा0 कमाल रौल नं0— 1391	परिवाद है कि मुझे हाई जम्प, लॉग जम्प में कम अंक दिया गया है। हाई जम्प 4.6 फीट से भी ज्यादा फॉदा था फिर भी 01 अंक दिया गया है। लॉग जम्प भी 14 से ऊपर फॉदा था फिर भी 01 अंक मिला है। हाई जम्प एवं लॉग जम्प में 02—02 अंक दिया जाय।	आवेदक के मास्टर चार्ट से अंक का मिलान किया गया आवेदक को उँची कूद में 01 अंक लम्बी कूद में 01 अंक गोला फेक में 05 अंक कुल मिलाकमर 07 अंक प्राप्त किया जो सही है। प्रकाशित मेधा सूची के क्र0 79 पर योग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
119	संगीता कुमारी पति संतोष कुमार पोद्वार	मठिहानी रौल नं0— 19	आवेदिका का परिवाद है कि औपबंधिक मेधा सूची में पति के स्थान पर पिता संतोष कुमार पोद्वार करने हेतु अनुरोध किया गया है।	आवेदिका के मास्टर चार्ट से आवेदन का जॉच समिति द्वारा किया गया। आवेदन एवं मास्टर चार्ट में पति का नाम संतोष कुमार पोद्वार अंकित है अतः प्रकाशित मेधा सूची में सुधार किया जा सकता है आपत्ति आवेदन स्वीकृत।	अस्वीकृत

**दिनांक 30.07.15 के जिला जनता दरबार/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के डाक से प्राप्त दावा आपत्ति निष्पादन प्रतिवेदन**

120	राम आजाद राय पे0— अनिल लाल राय ग्राम— मकदमपुर पोस्ट— चकबिदुसिया थाना— मंसूरचक	मनसूरचक रौल नं0—02	आवेदक का परिवाद है कि चिकित्सीय जॉच में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पुनः चिकित्सीय जॉच हेतु अनुरोध किया गया है।	चिकित्सीय जॉच के मास्टर सूची से मिलान किया जिसमें अयोग्य घोषित किया गया है। प्रकाशित औपबंधित मेधा सूची के क्र0 2 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत
121	विजय कुमार पे0— हृदय यादव ग्राम +पोस्ट विष्णुपुर आहोक सा0 कमाल	सा0 कमाल रौल नं0— 973	आवेदक का परिवाद है कि चिकित्सीय जॉच में सफल हूँ परन्तु किसी कारण वश अयोग्य घोषित कर दिया गया है सहानुभूतिपूर्वक विचार कर त्रुटि रहित किया जाए।	आवेदक के चिकित्सीय जॉच के मास्टर सूची से मिलान किया जिसमें अयोग्य घोषित किया गया है। प्रकाशित औपबंधित मेधा सूची के क्र0 114 पर अयोग्य सूची में दर्ज है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

122	सचिन कुमार पे०-दिनेश पासवान विनोदपुर बेगूसराय	बेगूसराय ग्रामीण रौल नं०-226	आवेदक का परिवाद है कि मेरी ऊचाई 162.2 सेमी० दर्शाया गई है जबकि क्र० 35 पर हरिश्चन्द्र कुमार की ऊचाई 162.5 सेमी० को योग्य बताई गई है जबकि अन्य सभी प्रक्रिया में मे उनसे आगे हूँ इस प्रकार मुझे अयोग्य किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है इसी प्रकार बलिया प्रखण्ड के पाण्डव पासवान को योग्य बताया गया है। अतः इन तथ्यों पर पुर्ण विचार कर योग्य सूची में लेने हेतु अनुरोध किया है।	मास्टर सूची के अंक तालिका से आवेदक के द्वारा वर्णित कथन से मिलान किया गया आवेदक का मात्र ऊचाई 162.2 सेमी० है जो अहर्ता के लिये आवश्यक ऊचाई 162.56 सेमी० से कम है। हरिश्चन्द्र कुमार की आहर्ता ऊचाई के बराबर है। इसलिए योग्य श्रेणी में है। इसी प्रकार पाण्डव कुमार पासवान पे०- रामनन्दन पासवान हुसैनीचक बलिया का ऊचाई मात्र 162 सेमी० है जो अहर्ता ऊचाई कम है जिसे अयोग्य श्रेणी में किया जाना चाहिए था। किन्तु टंकण भूल के कारण योग्य श्रेणी में अंकित हो गया है। जिसे अयोग्य श्रेणी में अंकित किया गया। आपत्ति आवेदन स्वीकृत।	परिवादी के आवेदन के आलोक में सभी अधिकारियों के अहर्ता ऊचाई के मास्टर सूची से पुनः जाँच की गयी। तत्वपश्चात् अहर्ता ऊचाई से कम रहने के कारण बलिया प्रखण्ड के पाण्डव कुमार पासवान क्र० 780 गुलशन कुमार रौल नं०-141 राजीव महतों पे०-रामचन्द्र महतों क्र०-200 को योग्य सूची में से अयोग्य सूची में दर्ज किया गया है। आवेदक के लिए दावा आपत्ति अस्वीकृत।
123	राहुल कुमार पे० शिवराम यादव सा० कमाल	सा० कमाल रौल नं० 319	परिवाद है कि शिव राम यादव अभ्यर्थी राहुल कुमार क्र० 319 के पिता है जो पुर्व से सेवानिवृत् गृह रक्षक है। उन्होने अपने लड़के को गृह रक्षक में बहाल करने हेतु अनुरोध किया है।	परिवादी स्वयं अभ्यर्थी नहीं है। इनके लड़के राहुल कुमार क्र० 319 प्रातांक 10 अंक के साथ औपबंधित मेधा सूची के क्र० 33 पर योग्य सूची में शामिल है। आपत्ति आवेदन अस्वीकृत।	अस्वीकृत

श्री अविनाश कुमार  
जिला आई०टी० प्रबंधक, श्रम अधीक्षक, बेगूसराय।  
बेगूसराय।

श्री मनीष कुमार  
जिला आई०टी० प्रबंधक, श्रम अधीक्षक, बेगूसराय।

श्री रमेश चन्द्र प्रसाद  
जिला कल्याण पदाधिकारी,  
बेगूसराय।

श्री कुमार धनंजय  
वरीय उपसमाहत्ता, बेगूसराय।

जिला समादेष्टा  
बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बेगूसराय।

प्रभारी पदाधिकारी,  
जिला सामान्य शाखा,  
बेगूसराय।

पुलिस अधीक्षक,  
बेगूसराय।

जिला पदाधिकारी,  
बेगूसराय।